न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 75/2017 (2017/00048)

तारीख दायरा–18.10.2017

तारीख निर्णय–27.01.20121

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता भैरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी गुमान तहसील गोगुन्दा।

........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा

निर्णय

वादी द्वारा प्रतिवादी भुमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा के विरूद्व धारा 88 आर.टी.एक्ट. में वाद प्रस्तुत किया, जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि मौजा गुमान पटवार हल्का तिरोल की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 97 में वर्णित आराजीयात किता 20 रकबा 3.0700 है0 भूमि एवं खाता संख्या 212 में वर्णिज आराजीयात किता 4 रकबा 0.0450 स्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी श्री देवीलाल पिता मोडा सुथार के नाम खाते दर्ज हो कर चली आ रही है जबकि उक्त आराजीयात भूमि वादी के नाम देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार के नाम से दर्ज होनी चाहीए थी, क्योंकि वादी को श्री भेरूलाल द्वारा संवत् 2035 में गोद लिया गया था तभी से वादी अपना जीवन यापन श्री भेरूलाल के यहा करता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि श्री भेरूलाल के नाम खाते दर्ज होकर चली आ रही थी, एवं उनके फौत होने के बाद जरिये विरासत वादी के नाम दर्ज हुई परन्तु उक्त आराजीयात में गलती से देवीलाल पिता भेरूलाल के बजाय देवीलाल पिता मोडीलाल उर्फ मोडा सुथार दर्ज हो गया है, वादी के पिता का नाम परिवर्तन होने से वादी कोई भी सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है जबकि वादी के सभी दस्तावेज श्री देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार के नाम से बने है, वादी के पिता का नाम पुनः दुरस्त कर वादी श्री देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज करने आ ओदश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद [illegible] कर प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा को जरिये सम्[illegible]ल वादपत्र के तलब किये गये। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब [illegible] गुमान पटवार हल्का तिरोल की जमाबन्दी संवत् 20[illegible] 97 में वर्णित आरा[illegible] किता 20 रकबा 3.0700 है0 भूमि में वादी का पुर्ण हिस्स[illegible] खाता संख्या 216 के [illegible] संख्या 2524 रकबा 0.0050 है0 भूमि में वादी का 5/72 हिस्सा एवं इसी प्रकार खाता संख्या 217 के आराजी संख्या 2435 रकबा 0.0200 है0 भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है, जिसमे वादी श्री देवीलाल पिता मोडा के बजाय देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार अकित कराना चाहता है।

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी श्री देवीलाल के वास्तविक पिता मोडा सुथार था किन्तु सामाजिक परम्परा से वह उनके काका श्री भेरूलाल के गोद रहने से उसके अन्य समस्त दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर आई.डी. में वादी का नाम देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार दर्ज है, देवीलाल पिता मोडा सुथार एवं देवीलाल पिता भैरूलाल सुथार एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत के पत्रानुसार एवं गांव में पुछने पर भी यही पता चला है कि दोनो व्यक्ति एक ही है एवं इस नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है वादी के पिता का नाम भेरूलाल दर्ज करना उचित हैं। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अतः अपनी बहस के अन्त में वादीगण का वाद माफिक प्रार्थना स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा गुमान पटवार हल्का तिरोल की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 97 में वर्णित आराजीयात किता 20 रकबा 3.0700 है0 भूमि में वादी का पुर्ण हिस्सा एवं खाता संख्या 216 के आराजी संख्या 2524 रकबा 0.0050 है0 भूमि में वादी का 5/72 हिस्सा एवं इसी प्रकार खाता संख्या 217 के आराजी संख्या 2435 रकबा 0.0200 है0 भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है, जिसमे वादी श्री देवीलाल पिता मोडा के बजाय देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार अंकित कराना चाहता है, उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गुमान पटवार हल्का तिरोल की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 97 में वर्णित आराजीयात किता 20 रकबा 3.0700 है0 भूमि एवं खाता संख्या 216 के आराजी संख्या 2524 रकबा 0.0050 है0 भूमि एवं इसी प्रकार खाता संख्या 217 के आराजी संख्या 2435 रकबा 0.0200 है0 भूमि में वादी श्री देवीलाल पिता मोडा के बजाय देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं डिक्री की प्रति भेजी जाकर तहसीलदार गोगुन्दा को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दपतर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:39 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–75/2017 (2017/00048) निर्णय दिनांकः–27.01.2021

वादी पक्ष

1. श्री देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार उम्र वयस्क निवासी गुमान तहसील गोगुन्दा।

प्रतिवादी पक्ष

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादीगण डिक्री किया जाता है एवं गुमान पटवार हल्का तिरोल की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 97 में वर्णित आराजीयात किता 20 रकबा 3.0700 है0 भूमि एवं खाता संख्या 216 के आराजी संख्या 2524 रकबा 0.0050 है0 भूमि एवं इसी प्रकार खाता संख्या 217 के आराजी संख्या 2435 रकबा 0.0200 है0 भूमि में वादी श्री देवीलाल पिता मोडा के बजाय देवीलाल पिता भेरूलाल सुथार को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:39 IST
Reason: SelfAttested